जयपुर में नकली खाद का 'खेल' उजागर

हरमाड़ा क्षेत्र के रामलियावाला इलाके में संदिग्ध उर्वरक और 750 कट्टे औद्योगिक नमक बरामद

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। हरमाड़ा क्षेत्र के सीकर रोड स्थित रामलियावाला इलाके में कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए कथित नकली खाद निर्माण और अवैध भंडारण के एक संदिग्ध मामले का खुलासा किया है। विभागीय टीम ने एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में संदिग्ध उर्वरक, औद्योगिक नमक, दानेदार कच्चा पदार्थ, साबुन कण तथा अन्य सामग्री बरामद की है। मामले में गोदाम को सीज कर संचालकों के खिलाफ हरमाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

कृषि अधिकारी सावरमल यादव की ओर से दर्ज रिपोर्ट के अनुसार विभाग को लंबे समय से संदिग्ध तरीके से खाद तैयार करने और भंडारण की शिकायतें मिल रही थीं। इसी आधार पर 29 मई को रामलियावाला क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर सर्च अभियान चलाया गया। मौके पर पहुंचने पर अधिकारियों ने पाया कि गोदाम के बाहर या अंदर किसी भी फर्म, कंपनी अथवा लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान का बोर्ड नहीं लगा हुआ था। जांच के दौरान गोदाम से तीन कट्टे संदिग्ध डीएपी, एक कट्टा संदिग्ध एमओपी, 750 कट्टे औद्योगिक नमक, 867 कट्टे काले-भूरे रंग का दानेदार कच्चा पदार्थ तथा 56 कट्टे साबुन कण बरामद किए गए। इसके अलावा पोटाश के 25 खाली कट्टे, रंग मिला हुआ नमक और रंगाई-पैकिंग में प्रयुक्त सामग्री भी मिली। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि इन सामग्रियों का उपयोग खाद जैसे उत्पाद तैयार कर बाजार में खपाने के लिए किया जा रहा था।

कृषि विभाग की टीम ने हरमाड़ा स्थित रामलियावाला में नकली खाद निर्माण और अवैध भंडारण का पर्दाफाश किया।

- गोदाम से तीन कट्टे संदिग्ध डीएपी, एक कट्टा संदिग्ध एमओपी, 750 कट्टे औद्योगिक नमक, 867 कट्टे काले-भूरे रंग का दानेदार कच्चा पदार्थ तथा 56 कट्टे साबुन कण बरामद

इस कार्रवाई के दौरान मौजूद नरेंद्र मीणा ने स्वयं को गोदाम का मुनीम बताया और मालिक के रूप में निखिल शर्मा का नाम बताया। अधिकारियों ने जब लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर और कारोबार से संबंधित दस्तावेज मांगे तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। निखिल शर्मा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद मिला।

जांच में यह भी सामने आया कि गोदाम में उपलब्ध दस्तावेजों में गोबर खाद के भंडारण का उल्लेख था, जबकि मौके पर मिली सामग्री दस्तावेजों से मेल नहीं खा रही थी। दस्तावेजों और वास्तविक भंडारण में अंतर मिलने पर कृषि विभाग ने संदिग्ध डीएपी और एमओपी के नमूने जांच के लिए भिजवा दिए।

कृषि विभाग ने पूरे गोदाम को सीज कर दिया है। हरमाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस और कृषि विभाग अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि यह कथित कारोबार कब से संचालित हो रहा था, सामग्री कहां सप्लाई की जा रही थी और इस नेटवर्क से कितने लोग जुड़े हुए हैं। विभागीय अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि जिलेभर में संदिग्ध उर्वरक कारोबार और अवैध भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि किसानों तक पहुंचने वाले घटिया और संदिग्ध उत्पादों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती धांधली में लिप्त डमी परीक्षार्थी गिरफ्तार

आरोपी नरेश ने 5 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थी की जगह दी थी परीक्षा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा-2022 में हुई धांधली के मामले में स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए दो वर्षों से फरार चल रहे दस हजार के इनामी डमी परीक्षार्थी नरेश कुमार निवासी करडा जिला नागौर को गिरफ्तार किया है। आरोपित मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने के आरोप में वांछित था। न्यायालय ने उसे 9 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि आरपीएससी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के तहत 24 दिसंबर 2022 को सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान तथा विज्ञान विषय की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। जिसे बाद में 29 जनवरी 2023 को पुन: आयोजित किया गया।

डमी परीक्षार्थी नरेश कुमार

एसओजी की जांच में सामने आया कि जालौर जिले के चितलवाना थाना क्षेत्र के परावा निवासी मूल अभ्यर्थी गोपाल सिंह ने स्वयं परीक्षा देने के बजाय अपनी जगह दो अलग-अलग डमी परीक्षार्थियों को बैठाया था। एसओजी की जांच के अनुसार नरेश कुमार ने 29 जनवरी 2023 को जालौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बागोड़ा परीक्षा केंद्र पर गोपाल सिंह के स्थान पर सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा दी थी। इसके बदले दोनों के बीच पांच लाख रुपए में सौदा तय हुआ था।

- दो साल से फरार इस बदमाश पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था

वहीं विज्ञान विषय की परीक्षा में गोपाल सिंह की जगह परीक्षा देने वाले दूसरे डमी परीक्षार्थी विष्णु प्रकाश,जो एमबीबीएस का छात्र है को एसओजी पहले ही 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर चुकी है।

जांच में सामने आया कि इस फर्जीवाड़े के जरिए गोपाल सिंह परीक्षा में सफल हो गया था और उसका चयन वरिष्ठ अध्यापक (द्वितीय श्रेणी) विज्ञान विषय के पद पर भी हो गया था। हालांकि आरपीएससी को मिली शिकायत के बाद उसकी नियुक्ति रोक दी गई। मामले की जांच एसओजी को सौंपे जाने के बाद मुख्य आरोपी एवं मूल अभ्यर्थी गोपाल सिंह को 29 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुसंधान अधिकारी प्रकाश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी नरेश कुमार को एसओजी थाने में दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी पिछले दो वर्षों से फरार चल रहा था और उस पर दस हजार का इनाम घोषित था। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से 9 जून तक पुलिस रिमांड मंजूर किया गया है। एसओजी अब आरोपी से पूछताछ कर परीक्षा धांधली से जुड़े नेटवर्क, वित्तीय लेन-देन और अन्य संदिग्धों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

एसओजी के अनुसार भर्ती परीक्षा धांधली से जुड़े इस प्रकरण में अब तक कई महत्वपूर्ण खुलासे हो चुके हैं और गिरोह के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।

'प्रदेश में पेट्रोल-डीजल आपूर्ति में कमी नहीं आए'

जयपुर (कासं)। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (आरपीडीए) की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के बाद कई अहम निर्णय लिए गए।

आरपीडीए के पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्य सचिव ने सभी ऑयल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसका तत्काल समाधान कर आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। बैठक में कन्वर्जन पंपों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि ऐसे पंप सीधे ऑयल कंपनियों से ही पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति प्राप्त करेंगे। इसके लिए ऑयल कंपनियां प्रदेश के सभी कन्वर्जन पंपों की सूची तैयार कर सरकार को भेजेंगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन पंपों को अभी तक सीधी आपूर्ति नहीं मिल रही है। आरपीडीए ने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया। एसोसिएशन का कहना है कि पडौसी राज्यों की तुलना में अधिक वैट होने के कारण राजस्थान में ईंधन बिक्री प्रभावित हो रही है। वैट में कमी से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि राज्य में बिक्री बढ़ने से राजस्व पर भी नकारात्मक असर नहीं पडेगा। मुख्य सचिव ने इस मांग पर सरकार की गंभीरता जताते हुए कहा कि वैट कटौती के विषय में अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुझाव दिया गया कि इस विषय पर निर्णय प्रक्रिया को गति देने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया जा सकता है। आरपीडीए पदाधिकारियों ने बैठक बुलाने और उनकी मांगों पर सकारात्मक चर्चा के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया तथा उम्मीद जताई कि जल्द ही इन मुद्दों पर ठोस निर्णय सामने आएंगे।

- मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने ऑयल कंपनियों को इस संबंध में निर्देश दिए

कांवटिया अस्पताल में ट्रोमा सेंटर खोलने की तैयारियां शुरू

जयपुर। जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने सोमवार को हरिबख्श कांवटिया अस्पताल का दौरा कर अस्पताल की व्यवस्थाओं, चिकित्सा सुविधाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली तथा आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर.एस.तंवर ने सांसद मंजू शर्मा को बताया कि अस्पताल के पास वर्तमान में केवल एक एंबुलेंस है। कई बार यह एंबुलेंस वीआईपी ड्यूटी अथवा अन्य सरकारी कार्यों में चली जाती है, जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर सांसद मंजू शर्मा ने हाथों हाथ अस्पताल को एक नई एंबुलेंस उपलब्ध कराने की घोषणा की। अस्पताल प्रशासन ने क्षेत्र में बढ़ती आबादी मरीजों की संख्या औऱ दुर्घटनाओं के आंकड़ों के मद्देनजर नए ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता भी बताई। इस पर सांसद ने अधिकारियों को ट्रॉमा सेंटर के लिए विस्तृत योजना तैयार करने और उपयुक्त स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। सांसद ने प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर के लिए संभावित स्थल का भी निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने अस्पताल के निकट खाली भूमि पर तीन मंजिला पार्किंग निर्माण का प्रस्ताव रखा।

बकाया बिलों का भुगतान 3 दिन में करें : ईजीएस आयुक्त

जयपुर (कासं)। ईजीएस आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सभी जिला कार्यकम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की वी.सी. के जरिए सचिवालय में बैठक ली।

सत्यानी ने योजनान्तर्गत सामग्री एवं प्रशासनिक मद का भुगतान एसएनए स्पर्श के माध्यम से किये जाने के संबंध में समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि जिलों द्वारा बकाया बिलों के भुगतान संबंधी सभी प्रक्रिया आगामी 3 दिवस में आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जाए। योजनान्तर्गत कार्यरत संविदाकार्मिकों के मानदेय भुगतान की कार्यवाही प्राथमिकता से करें।

आयुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक श्रमिक नियोजन किये जाने के निर्देश देते हुए अधिक से अधिक जॉब कार्डधारी परिवारों को निर्धारित समयावधि में रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। अतिरिक्त आयुक्त जुगल किशोर मीणा ने ई-केवाईसी, कार्यों की जियो टैगिंग की प्रगति की समीक्षा करते हुए अपूर्ण कार्यों को शीघ्रता के साथ पूर्ण कराते हुए आगामी मानसून के दौरान सघन पौधारोपण के निर्देश दिए। वित्तीय सलाहकार ने सीए ऑडिट के लिए डाटा वेरिफिकेशन निर्धारित प्रपत्रों मे तत्काल मुख्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए। परियोजना निदेशक रतन लाल अटल ने जिलों में पूर्ण हुए श्रेष्ठ कार्यों के फोटोग्राफ मय सफलता की कहानियां प्रति सप्ताह नियमित रूप से राज्य मुख्यालय को भिजवाने के निर्देश दिये।

ईजीएस आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने बुधवार को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सभी जिला कार्यकम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की वी.सी. के जरिए बैठक ली।

बैठक में अधीक्षण अभियंता आई.पी. अग्रवाल, परियोजना अधिकारी डॉ. सुमन, अधिशाषी अभियंता संजय खण्डेलवाल, कीर्ति सिंह निर्वाण, राजेन्द्र शर्मा, एसीपी ईजीएस शशिकान्त मुंजाल, आईईसी समन्वयक उमाशंकर शर्मा, एमआईएस मैनेजर अरविंद सिंघानिया, जीएआईएस एक्सपर्ट साधना सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सार-समाचार

रेडियो पर डॉ. हर्ष मिश्रा ने की चर्चा

जयपुर। बॉक्स एफएम रेडियो पर डाइटिशियन एवं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉ. हर्ष मिश्रा का एक घंटे का विशेष लाइव कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, संतुलित आहार और जीवनशैली से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्रोताओं ने फोन और मैसेज के माध्यम से अपने सवाल पूछे, जिनका डॉ. डॉ हर्ष मिश्रा ने सरल और वैज्ञानिक तरीके से उत्तर दिया। सवाल-जवाब का यह सत्र कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। डॉ हर्ष मिश्रा ने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि खिलाड़ियों और नियमित व्यायाम करने वाले लोगों के लिए संतुलित प्रोटीन, पर्याप्त पानी और सही समय पर भोजन कितना आवश्यक है। उन्होंने प्रदर्शन बढ़ाने और रिकवरी को बेहतर बनाने में पोषण की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

नशे की लत ने बनाया वाहन चोर

जयपुर। शिप्रापथ थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर चोरी का दुपहिया वाहन (बाइक) बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी नशे का आदी है और नशे की जरूरतें पूरी करने के लिए दुपहिया वाहनों की चोरी करता था। फिलहाल आरोपित से पूछताछ जा रही है। पुलिस उपायुक्त (जयपुर दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि शिप्रापथ थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चुराने वाले एक शातिर वाहन चोर आशु महावर (18) निवासी अहता किला पिनाहट (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की गई बाइक बरामद की गई है। वर्तमान में आरोपित भांकरोटा थाना क्षेत्र में खानाबदोश की तरह रह रहा था और पहचान छिपाकर विभिन्न स्थानों पर घूमता था। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी नशे का आदी है और नशे के लिए पैसों का इंतजाम करने हेतु बाइक और स्कूटी चोरी करता था। पुलिस को आशंका है कि आरोपी शहर में हुई अन्य वाहन चोरी की घटनाओं में भी शामिल हो सकता है। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और उसके संभावित साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल छोटूराम और कांस्टेबल मंगलज की विशेष भूमिका रही।

लापरवाही पर जनगणना कार्मिक निलंबित

जयपुर। जनगणना-2027 के कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर राज्य सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं कलक्टर संदेश नायक ने जनगणना कार्य के लिए नियुक्त प्रगणक अंजू वर्मा को निलंबित किया है। बताया जा रहा है कि अंजू वर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेहरा जोबनेर में लेवल-2 अंग्रेजी की अध्यापिका है। उन्होंने प्रधानाचार्य द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के बाद भी चार्ज जनगणना अधिकारी एवं तहसीलदार जोबनेर द्वारा आवंटित एचएलबी संख्या 0152 का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कलक्टर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कार्मिक का मुख्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जोबनेर निर्धारित किया है।

श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ

जयपुर। ठाकुर जुगलकिशोरजी मंदिर की ओर से किशनपोल बाजार में सोमवार से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की शुरुआत कलश स्थापना के साथ हुई। संगीतज्ञ आलोक भट्ट द्वारा श्रीमद् भागवत कथा 2 से 8 जून तक आयोजित होगी। गणपति पूजन के बाद संगीतज्ञ पंडित आलोक भट्ट ने श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, परीक्षित के जन्म की कथा और कलयुग का आगमन का वर्णन और भगवान की महिमा और भागवत श्रवण के महत्व पर प्रकाश डाला। श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन 2 बजे से 6 बजे तक आयोजित होगी।

विधी सिंह को पीएचडी की उपाधि

जयपुर। आईआईएस यूनिवर्सिटी ने छात्रा विधी सिंह को पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। उन्हें यह उपाधि डिजिटाइज़ेशन एंड चेंजिंग कंटेंट ऑफ एफएम रेडियो चैनल्स इन जयपुर विषय पर शोध के लिए दी गई है। विधी ने शोध कार्य डॉ. साक्षी आर्य के निर्देशन में पूरा किया है।

चलती स्कूटी पर झपट्टा मारकर पर्स लूटा

जयपुर। शिप्रापथ थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े दो सहेलियों से लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने चलती स्कूटी का पीछा कर पीछे बैठी युवती का पर्स झपट लिया। छीना-झपटी के दौरान स्कूटी अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे दोनों युवतियां सड़क पर गिरकर घायल हो गईं। घायल युवतियों ने उपचार के बाद शिप्रापथ थाने में मामला दर्ज कराया है। हेड कांस्टेबल राजेश ने बताया कि मानसरोवर निवासी प्राची शर्मा (27) ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह अपनी सहेली मनप्रीत के साथ स्कूटी से सांगानेर जा रही थी। दोनों श्रेयांश पैराडाइज के पास से गुजर रही थीं, तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उनकी स्कूटी का पीछा किया और अचानक झपट्टा मारकर पीछे बैठी प्राची का पर्स छीन लिया। पर्स छीनने के दौरान स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और दोनों सहेलियां सड़क पर गिर पड़ीं। हादसे में दोनों को चोटें आईं और वे कुछ समय के लिए बेसुध हो गईं। बाद में उन्होंने स्वयं को संभाला और एक निजी अस्पताल में उपचार कराया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि लूटे गए पर्स में करीब 10 हजार रुपए नकद, पहचान पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। हेड कांस्टेबल राजेश ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

फैन्सी नंबर प्लेट लगाई या बिना रिकॉर्ड पुरानी गाड़ियां बेची तो कार्रवाई होगी : राजीव पचार

'बुलेट अथवा पावर बाइक्स में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले गैराज संचालकों की भी खैर नहीं'

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी में कानून-व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने वाहन संबंधी गतिविधियों पर बड़ी सख्ती शुरू कर दी है। बुलेट और अन्य पावर बाइक्स में पटाखों जैसी आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर, फैंसी नंबर प्लेट और चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार की ओर से जारी ये आदेश 2 जून से 31 जुलाई 2026 तक पूरे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में प्रभावी रहेंगे। आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी थाना प्रभारियों, एसीपी और डीसीपी को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने बताया कि शहर में लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ गैराज संचालक और मैकेनिक बुलेट तथा अन्य पावर बाइक्स में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर उन्हें पटाखों जैसी तेज आवाज निकालने योग्य बना रहे हैं। इससे न केवल आमजन को परेशानी होती है बल्कि सड़क दुर्घटनाओं और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही वाहनों पर परिवहन विभाग के निर्धारित मानकों के विपरीत फैंसी, डिजाइनदार और अमानक नंबर प्लेट लगाने के मामलों में भी वृद्धि देखी गई है। पुलिस का कहना है कि ऐसी नंबर प्लेटों के कारण अपराध में प्रयुक्त वाहनों की पहचान करने में कठिनाई आती है और अपराधियों को लाभ मिलता है। इस आदेश के तहत कोई भी मैकेनिक या गैराज संचालक किसी वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं लगाएगा। वाहनों पर केवल परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट ही लगाई जा सकेगी। किसी भी वाहन पर नंबर प्लेट लगाने से पहले उसकी मूल आरसी का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। फैंसी और डिजाइनदार नंबर प्लेटों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. राजीव पचार

- राजधानी में कानून-व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने वाहन संबंधी गतिविधियों पर बड़ी सख्ती शुरू की

सैकंड हैंड वाहन कारोबार पर भी शिकंजा कसा

इसके अलावा पुलिस कमिश्नरेट ने चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त और उनके आपराधिक गतिविधियों में उपयोग पर रोक लगाने के लिए सेकंड हैंड वाहन कारोबारियों के लिए भी कडे नियम लागू किए हैं।

पुलिस को मिली सूचनाओं में सामने आया कि कई स्थानों पर पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री बिना पर्याप्त दस्तावेजी प्रक्रिया के की जा रही थी। कई मामलों में वाहन परिवहन विभाग को सूचित किए बिना ही दूसरे व्यक्ति को बेच दिए जाते थे, जिससे अपराध होने पर जांच प्रभावित होती थी और वास्तविक आरोपियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था।

जांच में यह भी सामने आया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 50 के तहत निर्धारित प्रक्रिया, वाहन हस्तांतरण के रिकॉर्ड और स्वामित्व परिवर्तन संबंधी दस्तावेजों का समुचित संधारण नहीं किया जा रहा था।

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सेकंड हैंड वाहनों के डीलर्स, एजेंटों और कबाड़ियों को प्रत्येक वाहन के विक्रेता और खरीदार का पूरा नाम, पता और पहचान संबंधी दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना होगा। वहीं वाहन खरीद-बिक्री के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित फॉर्म संख्या 29 और 30 भरना अनिवार्य होगा।

वाहन के वास्तविक हस्तांतरण की तारीख, समय और लेन-देन का पूरा विवरण रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा। परिवहन विभाग की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा। डॉ. राजीव पचार ने कहा कि चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल कई बार लूट, डकैती और अन्य गंभीर अपराधों में किया जाता है। नए आदेशों का उद्देश्य वाहन चोर गिरोहों, असामाजिक तत्वों और अपराधियों के नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाना है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

'सहकारी समितियों और दुग्ध संकलन केन्द्र के आवेदन और आवंटन अब ऑनलाइन होंगे'

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने विभागीय बैठक ली।

जयपुर। राजस्थान में डेयरी नेटवर्क को मजबूत करने और पशुपालकों को संबल देने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। पशुपालन, गौपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज सहित विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बजट घोषणाओं, लंबित भुगतानों और बुनियादी ढांचे पर विस्तृत मंथन हुआ।

कैबिनेट मंत्री ने डेयरी नेटवर्क में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े निर्देश दिए। अब नई आवंटन नीति के तहत दुग्ध सहकारी समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, इनका आवंटन भी पूरी तरह ऑनलाइन ही होगा। मंत्री कुमावत ने बल्क मिल्क कूलर्स (बीएमसी) के आवंटन की भी समीक्षा की। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुधार की जानकारी देते हुए बताया कि नई नीति के तहत अब दुग्ध समितियां अपने स्वयं के पूंजी निवेश से भी बीएमसी स्थापित कर सकेंगी। मंत्री ने बताया कि जयपुर डेयरी में 10 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली एक और नई प्रोसेसिंग यूनिट, राजसमंद में 50 हजार लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट बनकर तैयार है। पाली में 300 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला आधुनिक कैटल फीड प्लांट, गुलाबपुरा में 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला कैटल फीड प्लांट भी बनकर तैयार हो चुका है।